५५

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त जिलों में डोर टू डोर सर्वे का कार्य 15 जून 2012 तक कराया जा रहा है। इस सर्वे के कार्य का निरीक्षण जिलों की तहसीलों पर बैठक कर किया गया। निरीक्षण दल द्वारा उस दौरान यह पाया गया कि बी.एल.ओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे के दौरान नाम जोडने का फार्म–6 वितरित कर दिया गया है किन्तु उसके पश्चात भरे हुए प्राप्त करने के लिए नही गए । अतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बी. एल .ओ सुपरवाईजर बी.एल.ओ को निर्देशित किया गया है कि जो फार्म बी एल ओ द्वारा वितरण किये जा रहे है, उन पर विधान सभा क्षेत्र, मतदान केन्द्र कमांक,बी.एल.ओ का नाम एवं मोबाईल नंबर फार्म पर मतदाता की सुविधा के लिए आवश्यक रूप से अंकित कर दें इस हेतु उनको एक सील बनाने के निर्देश दिये गये है। ताकि आवेदक बी.एल.ओ के मोबाईल पर संपर्क कर सकें। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन घरों में बी एल ओ द्वारा फार्म दिये जा रहें है उनके मोबाईल नंबर भी बी.एल.ओ के पास रजिस्टर में दर्ज हो जिससें बी.एल.ओ भी मोबाईल के माध्यम से आवेदक से संपर्क में रहें। तथा परिवार के मुख्यिा के हस्ताक्षर भी रजिस्टर में कराये जावें। आवेदको/मतदाताओं से अपेक्षा है कि बी.एल.ओ. सर्वे पर आये तो अपना मोबाईल नंम्बर भी बी.एल.ओ. को देवें। रजिस्टर में परिवार को कोई भी सदस्य हस्ताक्षर कर दे। बी.एल.ओ. का नाम व बी.एल. ओ का मतदान केन्द्र का नम्बर भी ले लिया जावे।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

क्रमांक 01/2013/3/ ५६९५ **भोपाल, दिनांक** ५.६.२०१२

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, जनसम्पर्क, म.प्र. को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार के प्रमुख तोर से स्थानीय समाचार तथा जिला व तहसील स्तर पर प्रकाशनार्थ।
2. क़ेन्द्र निदेशक़, दूरदर्शन, श्यामला हिल्स, भोपाल को समाचार के रूप में व्यापक प्रसारण करने हेतु ।
3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा सागर को व्यापक प्रसारण करने हेतु ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ। जिला एवं तहसील स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ। एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें । प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करें।

(संजय सिंह बघेल)
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश